COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Samiksha Jain Judicial Magistrate First Class-17 Jalandhar
Indostar Capital Finance Limited
Vs.
Sushil Kumar
CNR NO: PBJL03-025819-2024
Next Date: 18-04-2026
NACT/5992/2024
detail of offence:-
Notice To: Sushil Kumar : S/o Deshpal Singh H. No 25/386 Kashiram Colony Baraut Baghpat, U.P 250611
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 18-04-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Judicial Magistrate First Class-17 Jalandhar
dated, this day of 17-03-2026

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Samiksha Jain Judicial Magistrate First Class-17 Jalandhar
Indostar Capital Finance Limited
Vs.
Yadav Amaresh Umashankar
CNR NO: PBJL03-025826-2024
Next Date: 18-04-2026
NACT/5995/2024
detail of offence:-
Notice To: Yadav Amaresh Umashankar : Sehampur Jalalpur Jaunpur, U.P 222136
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 18-04-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Judicial Magistrate First Class-17 Jalandhar
dated, this day of 17-03-2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी/सह–ऋणी को राशि वापस करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था, अतः ऋणी और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन **आईआईएफएल एचएफएल** के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि यहां उल्लेखित राशि के साथ ब्याज भी शामिल है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय **आईआईएफएल एचएफएल** की बकाया राशि को सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित चुका देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां जब्त नहीं की जाएंगी।

उधारकर्ता(ओ)/ सह–उधारकर्ता(ओ) के नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री मोहित कुमार राठौर, फ्रेंड्स रेडीमेड गारमेंट्स, श्रीमती पूजा राठौर **(प्रॉस्पेक्ट नं आईएल10456764)**	गाटा संख्या 471 एमआई पर स्थित मकान का संपूर्ण भाग, जिसका क्षेत्रफल 62.49 वर्ग मीटर है। सतवन बुजुर्ग, परगना सदर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, 242001, भारत। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: संपत्ति का क्षेत्रफल: 672	**16,46,811/– रुपये** (सोलह लाख छियालीस हजार आठ सौ ग्यारह रुपये मात्र)	04–12–2025	17–03–2026

अधिक जानकारी के लिए कृपया **शाखा कार्यालय** में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: 1017, दसवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 और टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 या **कॉर्पोरेट कार्यालय:** आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज–IV गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान: शाहजहांपुर, **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक: 21–03–2026 **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।**

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (वि0/यां0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

पत्रांक: 510/कार्य-9/(26)/229
दिनांक 20.03.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ0प्र0 जल निगम की ओर से QWS के निर्माण कार्य हेतु निविदाओं की बिक्री दिनांक 23.03.2026 से 27.03.2026 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0 विंग) उत्तर प्रदेश जल निगम, फ्लैट नं0 आर0-16, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 1000.00+18% जी.एस.टी. (1000.00 + 180.00 = 1180.00) है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेबसाइट http://jn.upsdc.gov.in से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा सूचना:-

निविदा विक्रय की तिथि - 23.03.2026 से 27.03.2026 अपराह्न 04:00 बजे।
निविदा डालने की तिथि - 28.03.2026 अपराह्न 12:00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि - 28.03.2026 अपराह्न 03:00 बजे।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, (वि0/यां0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

पत्रांक: 511/कार्य-9/(26)/230
दिनांक 20.03.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

उ0प्र0 जल निगम की ओर से Supply, Installation, Testing and Commissioning of E/M Equipment for QWS के कार्य हेतु निविदाओं की बिक्री दिनांक 23.03.2026 से 28.03.2026 तक कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0 विंग), यूनिट-द्वितीय, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), 4/308, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि0/यॉ0 विंग) उत्तर प्रदेश जल निगम, फ्लैट नं0 आर0-16, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ से की जायेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 1000.00+18% जी.एस.टी. (1000.00 + 180.00 = 1180.00) है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेबसाइट http://jn.upsdc.gov.in से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा सूचना:-

निविदा विक्रय की तिथि - 23.03.2026 से 28.03.2026 अपराह्न 02:00 बजे।
निविदा डालने की तिथि - 30.03.2026 अपराह्न 12:00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि - 30.03.2026 अपराह्न 02:00 बजे।

प्रकाशन हेतु सूचना ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली

अपार्टमेंट नं. 318, 3री मंजिल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

अपील सं.: 113/2023
ओए सं.: 336/2020
(डीआरटी-II, दिल्ली)

केनरा बैंक – अपीलकर्ता
बनाम
श्री अनंत श्रीवास्तव एवं अन्य – प्रतिवादी

सूचना

1. मैसर्स मैस्कॉट सोहो होम्स प्राइवेट लिमिटेड बी–22, गाजीपुर गांव, दिल्ली–96; अन्य पताः डी–59, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301; अन्य पताः प्लॉट नं. जीएच–4बी/1, सेक्टर–16, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश

.....प्रतिवादी सं. 2

जैसाकि सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा 31.03.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है और इसे न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया है। यह मामला 17.03.2026 को इस न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जैसाकि न्यायाधिकरण के संतोष के लिए यह दशार्या गया है कि सामान्य तरीके से आपको नोटिस तामील करना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के माध्यम से यह सूचना दी जाती है कि आप 27.04.2026 को इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।

यह प्रकाशन दो समाचार पत्रों, एक स्थानीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में, जो प्रतिवादियों के अंतिम ज्ञात पते वाले क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होते हों, में किया जाए।

यह ध्यान रखें कि ऊपर उल्लिखित तिथि पर आपकी अनुपस्थिति की स्थिति में, मामले की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में ही निर्णय ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 19 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
अनुभाग अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India undertaking

सहारनपुर मुख्य शाखा, पताः अनंत बिल्डिंग, रेलवे रोड, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247001
संपर्क नंबरः ....., मेल आईडी : ubin0530654@unionbankofindia.bank

धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

संदर्भ : सरफेसिया : 306506650063573 **दिनांकः 06.10.2025**
स्थानः सहारनपुर

प्रति,

1. ऋणकर्ता/गण :
(क) श्री शिव कुमार वालिया पुत्र श्री जगत सिंह वालिया (आवेदक), ग्राम दास माजरा, पोस्ट– बुद्धाखेड़ा, सहारनपुर – 247001
(क) श्री शिव कुमार वालिया पुत्र श्री जगत सिंह वालिया (आवेदक), निर्मल विहार, डॉ. सैनी क्लिनिक के पास, वर्धमान कॉलोनी, सहारनपुर – 247001

2. गारंटरगण :
(कं) श्री विजय कुमार पुत्र प्रेमनाथ (गारंटर), ग्राम कोलकी कलां, पोस्ट खजूरी अकबरपुर, सहारनपुर – 247001
(ख) श्री जगत सिंह पुत्र श्री नारायण दास (गारंटर), ग्राम दास माजरा, पोस्ट – बुद्धाखेड़ा, सहारनपुर – 247001

श्रीमान/श्रीमती,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नोटिस।

उपरोक्त पताधारक संख्या 1 ने हमारी सहारनपुर मुख्य शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं और बकाया राशि/किस्त/ब्याज का भुगतान करने या खातों को संतोषजनक ढंग से संचालित करने में विफल रहे हैं। अतः, आय पहचान और विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों के संबंध में आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आपके खाते को 28.09.2025 को 'गैर–निष्पादित आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके खाते में रु. 2,42,682.33 (दो लाख बयालीस हजार छह सौ बयासी रुपये और तैंतीस पैसे मात्र) की राशि बकाया है।

उपरोक्त खातों के संबंध में आप (संख्या 1) की ओर से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है :

सुविधा का प्रकार	06.10.2025 के अनुसार बकाया राशि	एनपीए की प्रभावी तिथि से 06.10.2025 तक अप्रयुक्त ब्याज	दांडिक ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा वहनकृत लागत/शुल्क	कुल देयराशियां
यूनियन होम फ्लोटिंग रेट	रू. 2,26,152.33	रू. 16,530.00	-------	-------	रू. 2,42,682.33
कुल देयराशियां					रू. 2,42,682.33

देय धनराशि या बैंक को भविष्य में देय होने वाली धनराशि की अदायगी सुरक्षित करने हेतु, श्री शिव कुमार वालिया ने 02.06.2007 को दस्तावेज निष्पादित किए थे और नीचे वर्णित अचल संपत्ति के बंधक के माध्यम से प्रतिभूति हित सृजित किया था :

बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है :

(1) आवासीय संपत्ति, मकान नंबर : खसरा नंबर–1144, प्राइवेट प्लॉट नंबर–90 और 91, दारा कोट ताला स्वाद बरून, सहारनपुर, कॉलोनी का नाम 'निर्मल विहार', सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। क्षेत्रफलः 53.47 वर्ग गज या 44.70 वर्ग मीटर। श्री शिव कुमार वालिया पुत्र श्री जगत सिंह वालिया के नाम पर। सीमाएं: पूर्वः अन्यों के प्लॉट, पश्चिमः 25 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः राजीव वालिया का घर, दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति।

अतः, आपको इसके द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत रु. 2,42,682.33 (दो लाख बयालीस हजार छह सौ बयासी रुपये और तैंतीस पैसे मात्र) की राशि, आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार संविदात्मक दर पर आगे के ब्याज और शुल्क के साथ, इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने और अपनी देनदारियों को पूर्ण रूप से चुकाने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों को बेचने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आपका ध्यान सरफेसी की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

आपका विश्वासपात्र,
(प्राधिकृत अधिकारी)

Bank of India — Relationship beyond banking

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा
32 कम्युनिटी सेंटर,
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110025

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि

नीचे अधेहस्ताक्षरी करने वाला, जो शक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया का अधिकृत अधिकारी है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08.01.2026 को मांग नोटिस जारी किए। इन नोटिसों के माध्यम से उधारकर्ता मेसर्स पुष्पा इंजीनियरिंग वर्क्स और श्रीमती ललिता पत्नी श्री शिव कुमार से यह मांग की गई कि वे सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें। यह राशि मेसर्स पुष्पा इंजीनियरिंग वर्क्स के खाते (खाता संख्याः 603830110000069) के लिए रूपये 1,16,90,031.79 + 07.01.2026 से बैंक ब्याज (रूपये 88,322.79) + लागू शुल्क, और श्रीमती ललिता पत्नी श्री शिव कुमार के खाते (खाता संख्याः 603862610000061) के लिए रूपये 20,43,552.00 07.01.2026 से बैंक ब्याज (रूपये 6,877.84) + लागू शुल्क, तथा इन राशियों पर अतिरिक्त ब्याज सहित है। यह भुगतान उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना है।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ–साथ सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मार्च 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इसके द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करेंय और इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन, बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा। यह प्रभार, मेसर्स पुष्पा इंजीनियरिंग वर्क्स (खाता संख्याः 60383011000069) के खाते में रूपये 1,16,90,031.79 + 07.01.2026 से लागू बैंक ब्याज + अन्य लागू शुल्क, तथा श्रीमती ललिता पत्नी श्री शिव कुमार (खाता संख्याः 603862610000061) के खाते में रूपये 20,43,552.00 + 07.01.2026 से लागू बैंक ब्याज + अन्य लागू शुल्क, की राशि के लिए है, जिसमें इन राशियों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा, जिसमें संपत्ति संख्या 132, किला संख्या 6/2, 7/1, 14, 16/2, 17/125/1 और 27 शामिल हैंय जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 104.00 वर्ग गज है और जिसमें भूतल तथा प्रथम तल शामिल हैं, जो ग्राम सिही (तिगांव रोड), बल्लभगढ़, हरियाणा– 121001 में स्थित है और श्री शिव कुमार (गारंटर) के स्वामित्व में है। दिशाएँ: पूर्व में प्लॉट संख्या 17, पश्चिम में प्लॉट संख्या 19, उत्तर में तिगांव रोड, दक्षिण में प्लॉट संख्या 24।

दिनांकः 19.03.2026, स्थानः नई दिल्ली, **अधिकृत अधिकारीः भारतीय बैंक**

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking) — सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंदवानी मार्केट, आर्यनगर, रियलायंस स्मार्ट प्वाईंट के ऊपर, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

कब्जा सूचना
परिशिष्ट-IV (नियम-8 (1))
(अचल सम्पत्ति हेतु)

स्क्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं. 54) तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इनफोर्समेंट नियम 2002 के नियम 3 के नियमानुसार साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/गारंटर/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/गारंटरों/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/गारंटरों/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। 'उधारकर्ता (ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है' ऋणी/गारन्टरों/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **केनरा बैंक** सम्बंधित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर के नाम	चल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	**शाखा : सतपुली** **ऋणी :1. श्री पवन सिंह** पुत्र श्री ज्ञान सिंह, **निवासी–पता–1.** प्रधान ढाबा के पास रामपुर लक्ष्मी एन्क्लेव, शिमला बाईपास रोड, बडोवाला, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड–248007, **पता–2.** लक्ष्मी एन्क्लेव, शिमला बाईपास रोड, मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना पछवादून,जिला–देहरादून, उत्तराखंड, **2. मैसर्स प्रतीक एंटरप्राइजेज** (प्रोपराइटर : श्री पवन सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह), **निवासी**– वार्ड संख्या 5, बस स्टेशन, देवप्रयाग रोड, उत्तराखंड लाउंज के पास, पौडी गढ़वाल, पौडी, उत्तराखंड– 246001।	बंधक आवासीय संपत्ति के सभी भाग व भूखण्ड जिसका खाता खतौनी संख्या 1163 (फसली वर्ष 1399 से 1404) का भाग है, जो खसरा संख्या 1078 का एक हिस्सा है। यह मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना पछवादून, जिला देहरादून (लक्ष्मी एन्क्लेव, शिमला बाई–पास रोड) में स्थित है, जिसके भूमि का कुल क्षेत्रफल 83.56 वर्ग मीटर है। **सीमाएँ:–पूर्व**– अन्य की भूमि, माप 24 फीट 3 इंच, **पश्चिम**– 14 फुट चौड़ी सड़क,माप 24 फीट 3 इंच, **उत्तर** – अन्य की भूमि, माप 37 फीट, **दक्षिण**– विक्रेता की भूमि, माप 37 फीट 2 इंच। **CERSAI ID. 400058374163**	29.12.2025 **चिपकाये गये कब्जा नोटिस की तिथि** 18.03.2026	रु0 **13,14,395.82** (रूपये तेरह लाख चौदाह हजार तीन सौ पिचानवे एवं बयासी पैसे मात्र) और उस पर ब्याज

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

Criminal Courts,Jalandhar

In The Court Of Ms. Renuka Kalra JMIC -18, Jalandhar
Next Date: 28-04-2026
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in Detail of offence:-
Amrit Malwa Capital Ltd. Vs. Sonu
case no: NACT/171/2025
CNR No.PBJL03-000167-2025
Proclamation requiring the appearance of a person accused Police station/fir no. division 6// 138, of negotiable instruments act
Notice To: Sonu : C/o Ram Shankar R/o 266/366 Ratanpur Colony, Panki Kanpur Nagar Uttar Pradesh 208020
Whereas complaint/case has been made before me that Sonu : C/o Ram Shankar R/o 266/366 Ratanpur Colony, Panki Kanpur Nagar Uttar Pradesh 208020 has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section 138, of negotiable Instruments Act and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said sonu cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said sonu has absconded (or is concealing himself/ herself to avoid the service of the said warrant); proclamation is hereby made that the said sonu is required to appear before this Court (or before me) on 28-04-2026 to answer the said complaint/ case.
JMIC-18, Jalandhar

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra — भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा
बी–192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52, नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे–5

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम–8(1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति–हित–का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूहित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी किया जिसमें निनवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अनय खर्चो सहित नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। यह सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था।

ऋणी द्वारा राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है। ऋणी एवं जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नही करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा** के निर्मित प्रभार के अध्यधीन होगां।

उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक रखी संपत्ति के विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि
शाखाः संभल			
1. श्री इब्रान पुत्र श्री खुर्शीद पताः मकान संख्या 25, ग्राम चिम्यावली, जिला संभल– 244302 यूपी। 2. श्री गुलाम सरवर पुत्र श्री खुर्शीद पताः मकान नंबर 25, ग्राम चिम्यावली, जिला संभल–244302 यूपी।	मालिक का नामः श्री इब्रान पुत्र श्री खुर्शीद संपत्ति का विवरणः आवासीय संपत्ति स्थित गाटा संख्या 99 खा, ग्राम मखदूमपुर, संभल– मुरादाबाद रोड, तहसील एवं जिला संभल, क्षेत्रफल 140.56 वर्ग मीटर, मालिक–श्री इब्रान पुत्र श्री खुर्शीद। सीमायें निम्नलिखित हैः– पूर्वः प्रेम सिंह का खेत, पश्चिमः संभल–मुरादाबाद रोड, उत्तरः अन्य की भूमि, दक्षिणः विमला का प्लॉट। **CERSAI ASSET ID-200087018061**	06.01.2026 कब्जे नोटिस की तिथि 20.03.2026	रू 14,71,073.65 + ब्याज एवं अन्य खर्च 06.01.2026 से
दिनांक–20.03.2026	स्थान– नोएडा		प्राधिकृत अधिकारी

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Samiksha Jain Judicial Magistrate First Class-17 Jalandhar
Indostar Capital Finance Limited
Vs.
Kamlesh Prasad
CNR NO: PBJL03-025798-2024
Next Date: 18-04-2026
NACT/5984/2024
detail of offence:-
Notice To: kamlesh prasad : s/o bhupat prasad r/o 05 karuhan purwa, gonda raulikalyanpur chitrakoot, baghelabari banda U.P 210202
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 18-04-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Judicial Magistrate First Class-17 Jalandhar

Bank of India — Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र
एम–125, ब्लॉक एम, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सम्पतियों की ई–नीलामी – 28.04.2026

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तीय असस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल समपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के अधार पर दिनांक **28.04.2026** को पूर्वा.**11.00** बजे से अपरा. **05.00** बजे को बेचा जाएगा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा होगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है

क्र. सं.	शाखा और खाते का नाम	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	कब्जे का प्रकार	कब्जे की तिथि	क. आरक्षित मूल्य (लाख में) ख. ईएमडी (लाख में) ग. बोली वृद्धि राशि (लाख में)	निरीक्षण की तिथि और समय (पूर्वाह्न 11.00 बजे से शायं 05.00 बजे तक)	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और सम्पर्क नं.
1.	दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर जोन मेसर्स जेबीसी फिनिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रोपराइटर श्रीमती उषा रानी जैन)	मालिकः श्रीमती उषा रानी जैन निवासी बी–428, पार्श्व विहार, प्लॉट नं. 50, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली–110092 गारंटरः श्री राजीव जैन निवासी बी–428, पार्श्व विहार, प्लॉट नं. 50, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली–110092	बेसमेंट फ्लोर 200 वर्ग गज का है। नगरपालिका संख्या 4242/30–31, प्लॉट संख्या 25, खसरा संख्या 60, नंबर 2, वार्ड संख्या XI, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली 110002 पर स्थित है। संपत्ति श्रीमती उषा रानी जैन (मालिक) के नाम पर है।	रुपये 268.03 लाख प्लस यू.सी.ओ.ई और अन्य शुल्क	भौतिक	19.09.2023	क) रू. 89.48 ख) रू. 8.95 ग) रू. 0.50	20-04-2026 दोपहर 02.00 बजे से शायं 04.00 बजे तक	श्री सुबे सिंह मोबाईल नं. 919673790244 पूछताछ के लिए हिमांशु बजाज से संपर्क करें मोबाईल नं. 9810977755
2.	दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर जोन मेसर्